न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री बीरबल सिंह शेखावत आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 180/2016

मेघराज पुत्र ईसर दत्तक पुत्र मालीराम, जाति कुम्हार, निवासी नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलाण्ट (प्रार्थी)

,—:बनामः—

1. मालीराम पुत्र सूरजमल, जाति कुम्हार, निवासी नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार (भू—धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक, कार्यालय शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. रामोतार पुत्र बिरधीचन्द, जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारो का मौहल्ला,हाड़ोता, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
5. प्रेम पुत्री मालीराम पत्नि मदन, जाति कुम्हार, निवासी अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेण्ट्स (अप्रार्थीगण)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 बउनवानी मेघराज बनाम मालीराम वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थितः—
श्री राजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राकेश टाक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 5
श्री बंशीधर जाट अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 4

—:निर्णयः— **दिनांक** 10/12/2019

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 बउनवानी मेघराज बनाम मालीराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट (प्रार्थी) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30—3—2015 को रेस्पोडेण्ट्स (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की सीमा में खाता संख्या 224 के अर्न्तगत आराजी खसरा नम्बर 2447/3762 रकबा 1.34 हैक्टेयर स्थित है जो प्रार्थी की पैतृक संयुक्त हिन्दु खानदान की बिलाबॅटी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में स्व0 सूरजमल का सजरा खानदान अंकित करते हुए स्व0 सूरजमल के दो पुत्र मालीराम व ईसर (फौत) दर्शित किया गया और मालीराम के वारिसान में मेघराज व प्रेमदेवी को दर्शित करते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी मृतक ईसर का पुत्र है परन्तु मालीराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से प्रार्थी को हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार बाल्यावस्था में ही गोद ले लिया था, तभी से प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के पास ही रहता है तथा अपने सामाजिक दायित्वो का निर्वहन कर रहा है व प्रार्थी ने अपनी बहिन की शादी कर दी जो अपने ससुराल में रहती है। गोद बाबत् एक लिखावट दिनांक 06—7—2000 को लिखी गई थी। साबिक सैटलमेण्ट के पूर्व से ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी के दादा सूरजमल काबिज काश्त थे परन्तु घर में अप्रार्थी संख्या 1 बड़ा व कर्ताखानदान होने की वजह से सैटलमेण्ट की कार्यवाही के दौरान मुतनाजा आराजी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो गई जबकि प्रार्थी के प्राकृतिक पिता ईसर का भी बराबर का हिस्सा था। अप्रार्थी संख्या 1 व ईसर आपसी सहमति से शामिल में रहते थे परन्तु रिकार्ड ऑफ राईट्स बड़े भाई के नाम था परन्तु दोनो भाई मालीराम व ईसर शामिल में ही काबिज काश्त रहे थे। प्रार्थी के प्राकृतिक पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब हिन्दु खानदान में अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी ही रहें है। परिवार का मुखिया अप्रार्थी संख्या 1 मालीराम ही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जीवनकाल में ही सम्पूर्ण आराजी प्रार्थी को सम्भला दी थी। प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी पर अर्सा 12 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज काश्त है। प्रार्थी अपने पिता मालीराम व माता गीता देवी की सेवा सुश्रृषा करता आ रहा है एंव शामिल में ही मकान बनाकर रहते है तथा विधुत कनैक्शन भी प्रार्थी के नाम से ही है तथा अपनी बहिन के सभी सामाजिक कर्त्तव्यो का निर्वाह करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने परिवार की बिना वैध आवश्यकता एंव बिना सहमति के सम्पूर्ण आराजी मुतनाजा को अप्रार्थी संख्या 4 को गुपचुप में दिनांक 27.02.2015 को बैचान कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 4 दिनांक 12.03.2015 को मौके पर आया और प्रार्थी को भूमि खाली करने की धमकी दी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से आपत्ति की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को बेदखल करने के लिए एलानियां कहा। गॉव व समाज के मौजीज व्यक्तियो की समझाईस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और विक्रय पत्र को निरस्त करवा कर भूमि प्रार्थी के नाम करवाने का आश्वासन दे दिया परन्तु अप्रार्थी संख्या 4 नहीं माना और इसके विपरीत यथाशीघ्र नामान्तरकरण खुलवाकर मुतनाजा भूमि को बैचान करने व प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी, इत्यादि तथ्यो के आधार पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 बउनवानी मेघराज बनाम मालीराम वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामिल दिनांक 09–11–2015 को अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर इस आशय का कथन किया कि मुतनाजा आराजी प्रार्थी की संयुक्त हिन्दु खानदान की बिलाबॅटी आराजी कभी भी नहीं रही है। मुतनाजा आराजी से प्रार्थी व उसके पिता का कोई संबंध, सरोकार नहीं रहा है और ना ही इनका कभी कब्जा, हिस्सा, साझा व काश्त रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को उक्त आराजी कभी भी काश्त हेतु नहीं सम्भलाया। बल्कि मुतनाजा आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व व कब्जा काश्त की रही है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा भूमि को बैचान करने का पूर्ण अधिकार रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त, हक व अधिकार की उक्त आराजी को मिन उत्तरदाता को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये बैचान कर दिया तथा मौके पर कब्जा सम्भला दिया। मिन उत्तरदाता ने विक्रय प्रतिफल राशि का भुगतान कर मुतनाजा आराजी खरीद है। विक्रय पत्र तस्दीक करने के दिन से ही मिन उत्तरदाता का उक्त भूमि पर कब्जा, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। दिनांक 21–4–2015 को मिन उत्तरदाता के हक में नामान्तरकरण तस्दीक हो गया। मिन उत्तरदाता द्वारा प्रार्थी को भूमि खाली करने की धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए भूमि बैचान की गई। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई गलती नहीं की, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा गलती मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मिन उत्तरदाता सद्भाविक क्रेता है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया और ना ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के पास रहा और ना ही वर्तमान में रह रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 अपने हिस्से में स्वंय के मकान में अलग निवास करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करता आ रहा है। प्रार्थी पेशे से अध्यापक है जो चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो उपरोक्त आराजी को हड़पना चाहता है। गोद की कोई लिखावट नहीं लिखी गई। झूँठी लिखावट बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया जो विचाराधीन है। प्रार्थी अपने पिता के ही अकेला पुत्र है तथा अपने पिता की सम्पत्ति प्राप्त की है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय जीवित है। विशेष विवरण में उक्त तथ्यो की पुनरावृति करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानून की पूर्ति नहीं करता है। प्रार्थी मिन उत्तरदाता को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। मिन उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा प्रार्थी के नाम से कभी भी मुतनाजा आराजी की खातेदारी दर्ज नहीं रही और ना ही उसके पूर्वजो के नाम दर्ज रही, इत्यादि तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुतोष चाहा गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीया संख्या 5 की ओर से दिनांक 27–1–2016 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर इस आशय का कथन किया गया कि विवादित भूमि से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है और ना ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त रहा है। मुतनाजा आराजी में प्रार्थी के पिता का कोई हक–हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि बैचान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अकेला उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा है। प्रार्थी को कभी भी भूमि काश्त के लिए नहीं संभलाई। अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकान के हिस्से में रहकर अपना भरण–पोषण स्वंय करता आ रहा है। प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की सेवा नहीं की। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दी है तथा मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 4 को संभला दिया। अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया। अप्रार्थी संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी भी गोद नहीं लिया तथा प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के पास नहीं रहा और ना ही सेवा की है। कभी भी गोद की लिखावट नहीं लिखी गई और ना ही कोई गोदनामा लिखा गया। प्रार्थी अपने पिता के एकमात्र पुत्र है जो अपने पिता की सम्पत्ति का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय ने अपनी पुत्री की शादी की है। झूँठी लिखावट का केस न्यायालय में विचाराधीन है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की बहस सुनकर निर्णय/आदेश दिनांक 08–3–2016 पारित कर दिया गया। जिसके तहत प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–3–2016 के विरूद्ध अपीलाण्ट की ओर से हस्तगत अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 01–4–2016 को अपील संख्या 180/2016 बउनवानी मेघराज बनाम मालीराम वगैरह दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स की तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 28–3–2018 को लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामा का अवलोकन करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण अपने भाई के लड़के अपीलाण्ट को गॉव के गणमान्य लोगो के समक्ष बाल्यावस्था में गोद ले लिया था और गोद की लिखावट दिनांक 06–7–2000 को लिखी गई। जिस पर गणमान्य लोगो व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के भी हस्ताक्षर मौजूद है, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का पुत्र न मानने में कानूनी भूल की गई है। मुतनाजा आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के साथ अपीलाण्ट मकान बनाकर रह रहा है तथा उक्त मकान में अपने नाम से विधुत कनैक्शन ले रखा है। अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के साथ रहकर दायित्वो व कर्त्तव्यो का निर्वहन कर रहा है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सभी हिन्दु खानदान का समान रूप से बराबर–बराबर हिस्सा है। अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का गोद पुत्र होने के कारण मुतनाजा आराजी में उसका हिस्सा बनता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मुतनाजा आराजी को अपीलाण्ट की सहमति के बिना ही बैचान कर दिया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने नाम से भूमि अलाटमेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी

लेटर या प्रमाण पेश नहीं किया। अपीलाण्ट के दादा सूरजमल का उक्त भूमि पर शुरू से कब्जा काश्त रहा है, इसलिये भूमि हिन्दु खानदान की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 एक–दूसरे के रिश्तेदार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने मिलीभगत करके रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को भूमि बैचान किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को गोद लेने के कारण पैतृक सम्पत्ति में अपीलाण्ट का अधिकार है, इत्यादि तर्को के आधार पर आलौच्य आदेश को अपास्त किया जाकर विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु रेस्पोडेण्ट्स को पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट के अधिवक्ता के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए दलील दी गई कि मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पैतृक होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया। मुतनाजा भूमि के रिकार्डेड खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने खातेदारी व विधिक अधिकारो का प्रयोग करते हुए जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को मुतनाजा आराजी का विक्रय कर मौके पर भूमि का कब्जा सम्भला है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 विवादित भूमि का सद्भाविक क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी प्रविष्टियॉ दर्ज हो गई। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट ने अपने आपको रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का गोद पुत्र बताया है लेकिन इस बाबत् अपीलाण्ट ने कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की। हाल राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं। सुस्थापित विधि के तहत रिकार्डेड खातेदार का मौके पर कब्जा होने की अवधारणा ली जायेगी। अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी व कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। दावा दायरी दिवस को मुतनाजा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर मौजूद किसी भी राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु नहीं है, इत्यादि तर्को के आधार पर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

मैनें उभय पक्षकारान् की बहस पर चिन्तन, मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय व इस न्यायालय की पत्रावलियो एंव आलौच्य आदेश का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। निषेधाज्ञा विधि में स्थापित प्रावधानो के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए तीन प्रमुख घटक बिन्दु (1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण (2) तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन, विश्लेषण करना उचित समझता हूँ।

प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरणः– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर राजस्व ग्राम नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की सीमा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2447/3762 रकबा 1.34 हैक्टेयर की नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 मौजूद है जिसमें उक्त आराजी की खातेदारी कॉलम संख्या 4 में मालीराम पुत्र सूरजमल जाति कुम्हार सा0 देह दर्ज है। इस न्यायालय की पत्रावली पर दस्तावेजो की सूची के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अर्न्तगत उक्त आराजी के संबंध में नोट अंकित है कि ''नामा0 सं0 685 दिनांक 21–4–2015 विक्रय पत्र के द्वारा मालीराम पुत्र सूरजमल जाति कुम्हार के बजाय रामवतार पुत्र बिरदीचन्द जाति कुम्हार निवासी कुम्हारो का मौहल्ला, हाडोता, तहसील चौमूँ जिला जयपुर के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ।'' उपरोक्त वर्णित दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि विवादित भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की एकल खातेदारी व कब्जे–काश्त की रही है और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपने विधिक अधिकारो का प्रयोग करते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये मुतनाजा आराजी को रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को विक्रय कर दी और मौके पर कब्जा संभला दिया और उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी प्रविष्टियॉ अंकित है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई कि दावा दायरी के वक्त अपीलाण्ट का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त हो। सुस्थापित विधि के तहत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मुतनाजा आराजी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार रहा है और वर्तमान में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। ऐसी स्थिति में मुतनाजा आराजी पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 एंव उसके द्वारा विक्रय के पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 4 का मौके पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस अपीलाण्ट के पक्ष में न होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 के पक्ष में साबित है।

जहाँ तकं प्रश्न विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति होने व उसमें अपीलाण्ट का हिन्दु खानदान के अनुसार हक व अधिकार निहित होने तथा विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार मालीराम का अपीलाण्ट दत्तक पुत्र होने के कारण विवादित भूमि उसके पैतृक अधिकार निहित होने के संबंध में है। इन प्रश्नो निस्तारण मूल वाद में सक्षम साक्ष्यो व सबूतो के आधार पर किया जाना है। पत्रावली पर कोई रजिस्टर्ड गोदनामा मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल विधुत बिल एंव लिखावट बंटवारानामा दिनांक 14–3–2015 की फोटो प्रति एंव लिखावट दिनांक 06–7–2000 एंव 31–8–2000 एंव 21–4–2001 की फोटो प्रतियां मौजूद है जो अन–रजिस्टर्ड होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब तथ्यो की उपस्थिति/मौजूदगी में अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित नहीं माना जा सकता।

अपूर्णीय क्षतिः– चूँकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मुतनाजा आराजी का रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार रहा है और उसके द्वारा विक्रय के पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। सुस्थापित विधि के तहत रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। यदि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 को अपूर्णीय क्षति होगी। इसके विपरीत अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होना सम्भावित नहीं है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 के पक्ष में है।

तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलनः– अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सिद्ध नहीं है बल्कि उक्त बिन्दु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 के पक्ष में सिद्ध है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 को निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 को असुविधा व हार्डशिप होगी। इसके विपरीत अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई हार्डशिप व असुविधा नहीं होगी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व प्रलेखीय साक्ष्यो को कन्सीडर करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीनो घटको पर विवेचन, विश्लेषण करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिसम्मत एंव न्यायसंगत है। इस कारण अपीलाण्ट की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को यथावत् रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट की अपील सारहीन, अर्थहीन, बलहीन, महत्वहीन, औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 08–3–2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(बीरबल सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
जयपुर